

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 18.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना क

टराबाजार ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनूप कुमार उर्फ पाले सोनकर पुत्र स्व0 जीतराम नि0 कोल्हुआ मौजा गोसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-223/22, 02. गीता देवी पत्नी महेश नि0 तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 224/22, 03. भगवानदीन पुत्र सन्तराम नि0 तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-225/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन कुमार उर्फ नन्कुने पुत्र पचई नि0 ग्राम भरथा इटहिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-153/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अमर लाल उर्फ बबलू पासी पुत्र स्व0 लाल बहादुर नि0ग्राम केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-154/22, 02. जानकी प्रसाद पुत्र रामसेवक नि0ग्राम टेपरहवा मौजा घरवासजोत थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-155/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुखबीर पुत्र राधिका नि0 ग्राम सदियापुर मौजा बालपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-231/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश सिंह पुत्र स्व0 श्रीपाल सिंह नि0 ग्राम भोपतपुर डिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-255/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राकेश कुमार पुत्र नरायन नि0 ग्राम हिन्दूनगर बाकी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-255/22, 02. श्रवण पुत्र गुल्ले नि0 ग्राम हिन्दूनगर बाकी थाना

खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-166/22, 03. राजू उर्फ राम औतार पुत्र पंचम सोनकर नि0 ग्राम इन्द्रापुर मौजा मधईपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-167/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लीलावती पत्नी स्व0 राधामणि नि0 ग्राम हथउवा मौजा ढोगही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-139/22, 02. मन्ना पत्नी बाबादीन नि0 ग्राम हथउवा मौजा ढोगही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-140/22, 03. सुशीला देवी पत्नी झिनके नि0 ग्राम हथउवा मौजा ढोगही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-141/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.07.2022

बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने, लोकसेवक के काम में बाधा डालने के 19 व्यक्ति गिरफ्तार—

दिनांक 17.07.2022 को कलेक्ट्रेट परिसर जिला पंचायत गोण्डा के सामने टीन शेड में कुछ लोग बिना अनुमति भीड़ लगाकर शासन-प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए थाना छपिया में घटित घटना भोलू सिंह के परिवार को उकसाकर भारी मुवावजे के लिए राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए अवध केशरी सेना के बैनर तले आम रास्ता को अवरुद्ध करते हुए कार्य सरकार में बाधा पहुँचा रहे थे तथा भोलू सिंह की पत्नी को मांग न पूरी होने पर आत्महत्या के लिए उकसाते हुए शासन प्रशासन को फसाने की धमकी दे रहे थे। जिसकी सूचना उच्चाधिकारीगणों को देते हुए वहाँ पर मौजूद पुलिस बल द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त करने हेतु निर्देशित करने पर प्रदर्शन कारियों द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त करने से मना करते हुए धरना प्रदर्शन को और उग्र कर दिया गया था। जिसपर प्रदर्शन कारियों के विरुद्ध थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 18.07.2022 को थाना को० नगर पुलिस द्वारा 19 प्रदर्शन कारियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. नील ठाकुर उर्फ अमरपाल सिंह पुत्र स्व० मनबहाल सिंह नि० विशुनपुर बैरिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. अजीत सिंह पुत्र स्व० प्रेम कुमार सिंह नि० जबर नगर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. दिनेश प्रताप सिंह पुत्र उदयभान सिंह नि० कौरहे थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
04. आदित्य सिंह पुत्र संतोष सिंह नि० छाछपारा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
05. उग्रसेन सिंह पुत्र लालविक्रम सिंह निवासी महवा डाबर थाना गौर जनपद बस्ती।
06. शिवम सिंह पुत्र प्रभाकर सिंह निवासी छपरा थाना परशरामपुर जनपद बस्ती।
07. राघवेन्द्र सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी परानपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
08. मनीष सिंह पुत्र शिवरंग सिंह निवासी खुर्दहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
09. बालमुकुन्द तिवारी पुत्र नरेन्द्र कुमार तिवारी निवासी बैरिया राजनाथ बिरतिहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
10. अमित मिश्रा पुत्र बबलू राम मिश्रा थाना कटरा जनपद गोण्डा।
11. अरविन्द सिंह पुत्र रामशरन सिंह निवासी रसूलपुर खान थाना बोड़ारे जनपद गोण्डा।
12. मोहित सिंह पुत्र बबू सिंह निवासी पूरे खाल चेतपुर थाना को० देहात गोण्डा।
13. शिवम पाण्डेय पुत्र करन कुमार पाण्डेय नि० रामपुर खरहटा थाना वजीरगंज गोण्डा।
14. राधे सिंह पुत्र शिवकुमार निवासी रनियापुर थाना को० देहात गोण्डा।
15. विवेक सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह नि० बानेपुर थाना वजीरगंज गोण्डा।
16. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र धर्मात्मा सिंह निवासी भिटौरा थाना मनकापुर गोण्डा।
17. नीरज सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी खिरिया मझगवा थाना वजीरगंज गोण्डा।
18. प्रवीन सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी बेनीपुर बेलईपुर थाना मनकापुर गोण्डा।
19. अमित शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला निवासी बैरीपुर रामनाथ थाना मनकापुर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु०अ०सं०—448/22, धारा 341,353,188,143,506,109 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

- प्र०नि० पंकज कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 18.07.2022

थाना खरगपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा, चोरी की योजना बनाते समय 02 शातिर चोर गिरफ्तार, 05 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, 02 अदद मोटर पम्प, चोरी करने के उपकरण व 01 अदद अवैध तमंचा कारतूस बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी/वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शातिर चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय 02 शातिर चोरों- 01. भरत बाजपेयी, 02. चिन्ताराम यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण, जामातलाशी के दौरान अभियुक्त भरत के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व निशानदेही से 05 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, 02 अदद मोटरपम्प बरामद किया गया। बरामद मोटरसाईकिलों के बारें मे पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाईकिलें हम लोग अलग-अलग जनपदों से से चोरी किए है तथा आर्थिक लाभ कमाने हेतु मोटरसाईकिलों के नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना थाना खरगपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. भरत बाजपेयी पुत्र गोली बाजपेयी नि० कंचनपुर मौजा फरेन्दा शुक्ल थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
02. चिन्ताराम यादव पुत्र श्रीपाल यादव नि० राजाजोत थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-171/22, धारा 401 भादवि थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-172/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-173/22, धारा 41 सी०आर०पी०सी०, 413,419,420,467,468 भादवि थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-163/22, धारा 379,411 भादवि थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-169/22, धारा 379,411 भादवि थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 05 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें।
02. 02 अदद चोरी के पम्प।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
04. चोरी करने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

उ०नि० अखिलेश यादव मय टीम।

